

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(14)न्याय / 2018

जयपुर, दिनांक १ NOV 2018

:आज्ञा:

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	रेणु कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सीकर	जिला न्यायाधीश (एडीजे) परीक्षा, 2018
2.	सुरेश कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर वृत्त, हनुमानगढ़	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2017 के साक्षात्कार हेतु
3.	अमित चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1. हरियाणा न्यायिक सेवा (जूनियर डिवीजन) 2. उत्तरप्रदेश न्यायिक सेवा (जूनियर डिवीजन) 3. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (जूनियर डिवीजन) 4. बिहार न्यायिक सेवा (जूनियर डिवीजन)
4.	राजू सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जोधपुर	जिला न्यायाधीश संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा 2018
5.	संदीप शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भीलवाड़ा	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित ADJ परीक्षा

शर्तः-

- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-४-

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

ज्य०१८
१११८

संयुक्त शासन सचिव